

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2011/TG-I/20/P/R.Form

New Delhi, Dated 4.11.2016

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

General Manager/PRS,
CRIS, Chanakyapuri,
New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 57 OF 2016)

Sub: Submission of reservation/cancellation requisition form.

Hon'ble Supreme Court in WP(Civil) No.400 of 2012 with 604 of 2013 titled as National Legal services Authority Vs. UOI & Others has inter-alia directed that Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature. It has, therefore, been decided to include the third gender/transgender option alongside male/female in reservation/cancellation requisition form. This information will be captured by the system and tickets to transgender will be issued on full fare.

2. Further, instructions have been issued dated 29.09.2016 (Commercial Circular No.52 of 2016), wherein S.No.38 of IRCA Coaching Tariff No.26, Part-I (Vol.II) regarding concession to senior citizen in rail fare has been revised as under:

"A senior citizen of Indian Nationality, permanently residing in India of the age of 60 years and above for Men Senior citizen and 58 years and above in case for Women Senior citizen shall only be eligible for concession in passenger fare."

2.1 Further, the following has been added below Para No.19 of Rule No.101, Chapter I of IRCA Coaching Tariff No.26 Part-I (Vol.II):

"However, Senior Citizen Concession shall not be admissible to the senior citizen of foreign nationals & NRIs"

3. Accordingly, the reservation/cancellation requisition form has been revised and a copy of the same is enclosed. CRIS will make necessary modifications in the software wherever required and advise the date of effect to all Zonal Railways as well as this office. Zonal Railways will also ensure compliance of the instructions mentioned above.


(Vikram Singh)

Director Passenger Marketing
Railway Board

-2/-

30/11/2016/123

Copy to:

1. CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branch of Railway Board.
3. Director/Printing, Railway Board.
4. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
15. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

RESERVATION/CANCELLATION REQUISITION FORM

If you are a Medical Practitioner, please tick (✓) in box

Dr. ☐

(You could be of help in an emergency)

☐

If you are Pregnant Women and want to get Berth in Quota, please tick (✓) in box

If yes, please submit certificate of Regd. Doctor.

☐

If you want Sr. Citizen Concession, please write YES/NO in box

(If Yes, please carry a proof of age during the journey to avoid inconvenience of penal charging under extant Railway Rules.)

☐

Do you want to be upgraded without any extra charge?

Write YES/NO in the box.

☐

(If this option is not exercised, full fare paying passengers may be upgraded automatically)

If you are traveling in 3 AC Class of Garib Rath Express Train or in Sleeper Class of Duronto Express Train, do you want bedroll in train? Write YES/NO in the box.

Train No. & Name..... Date of Journey.....

Class.....No. of Berths/Seats.....

Station From.....To.....

Boarding at.....Reservation upto.....

Mobile No..... (for PNR Status update through SMS)

S. No.	Name in Block Letters (not more than 15 letters)	Nationality	Gender M/F or T(M/F)	Age	Concession/ Travel Authority No.	Choice, if any
1.						Lower/ Upper berth
2.						
3.						
4.						Veg./Non- Veg (for Rajdhani/ Shatabdi Express only)
5.						
6.						

CHILDREN BELOW 5 YEARS (FOR WHOM TICKET IS NOT TO BE ISSUED)

S. No.	Name in Block Letters	Nationality	Gender M/F or T(M/F)	Age
1.				
2.				

ONWARD/RETURN JOURNEY DETAILS

Train No. & Name..... Date of Journey.....

Class.....Station From.....To.....

Name of Applicant.....

Full Address.....

Signature of the
Applicant/Representative

Telephone No./Mobile No., if any..... Date..... Time.....

FOR OFFICIAL USE ONLY

S. No. of Requisition..... PNR No.....

Berths/Seat No..... Amount collected.....

Signature of Reservation Clerk

- Note:
1. Maximum permissible passengers is 6 per requisition. (except in case of Tatkal Ticket)
 2. One person can give one requisition form at a time. (except in those cases involving onward and return journey of same party)
 3. Please check your ticket & balance amount before leaving the window.
 4. Form not properly filled in or illegible shall not be entertained.
 5. Choice is subject to availability.
 6. Passengers booked on single ticket may or may not get compact accommodation in the upgraded class.
 7. Pregnant Women can get lower berth reserved for self on first-cum-first served basis against Sr. Citizen Quota.
 8. During the journey, one of the passengers has to produce one of the prescribed proofs of identity (in original).

**भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड**

सं. 2011/टीजी-1/20/पी/आर.फॉर्म

नई दिल्ली, दिनांक 4.11.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

महाप्रबंधक/पीआरएस,
क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 57)

विषय: आरक्षण/रद्दकरण मांगपत्र प्रस्तुत करना।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 की रिट याचिका 604 के साथ 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 400 जिसका शीर्षक राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य है, में अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया है कि दोहरे लिंगी (Binary gender) के अलावा हिंजड़ों, नपुंसकों को हमारे संविधान के भाग III और संसद एवं विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए "तीसरे लिंग" के रूप में माना जाए। अतः, आरक्षण/रद्दकरण मांग फार्म में पुरुष/महिला के साथ तीसरा लिंग/ट्रांसजेंडर विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह सूचना सिस्टम द्वारा ग्रहण की जाएगी और ट्रांसजेंडरों को पूरे किराए पर टिकट जारी किया जाएगा।

2. इसके अलावा, दिनांक 29.09.2016 को अनुदेश (2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 52) जारी किए गए थे जिसमें रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने से संबंधित आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नं. 26, भाग-I (वाल्यूम II) के क्र.सं. 38 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष वरिष्ठ नागरिक और 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला वरिष्ठ नागरिक, जो भारत में स्थायी रूप से रहते हैं और जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, ही यात्री किराए में रियायत प्राप्त करने के पात्र हैं।"

2.1 इसके अलावा, आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नं.26, पार्ट-I (वाल्यूम-II) के अध्याय I के नियम सं. 101 के पैरा सं. 19 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा गया है:

"बहरहाल, विदेशी नागरिकता प्राप्त और एनआरआई वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक रियायत के पात्र नहीं होंगे।"

3. तदनुसार, आरक्षण/रद्दकरण मांग फार्म में संशोधन किया गया है और उसकी एक प्रति संलग्न है। क्रिस, जहां कहीं आवश्यक हो, सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करेगा और सभी क्षेत्रीय रेलों और साथ ही इस कार्यालय को उसे लागू करने की तारीख की सूचना देगा। क्षेत्रीय रेलें भी उपर्युक्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगी।

(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

रेलवे
आरक्षण/रद्दकरण मांग फॉर्म

- यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही (✓) का निशान लगाएं (आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है)
- यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत शायिका आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया बाक्स में (✓) का निशान लगाएं। यदि हाँ, तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें।
(यदि हाँ, तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण साथ रखें)
- क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें।
(यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वतः अपग्रेड किया जा सकता है)
- यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी या दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं? बाक्स में हाँ/नहीं लिखें।

डॉ

गाड़ी सं. और नाम..... यात्रा की तारीख.....
 श्रेणी..... शायिकाओं/सीटों की सं.
 स्टेशन से जिस स्टेशन तक
 यात्रा आरंभ करने का स्टेशन..... स्टेशन तक आरक्षण
 मोबाइल सं. (एसएमएस के जरिए पी.एन.आर.की अद्यतन स्थिति बताने के लिए)

क्र.सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में (15 अक्षरों से अधिक न हो)	राष्ट्रीयता	लिंग (पु./स्त्री) अथवा विपरीत लिंगी(पु./स्त्री)	आयु	रियायत/ यात्रा प्राधिकार सं.	विशेष मांग, यदि कोई हो
1.						निचली/ऊपरी शायिका शाकाहारी/मांसाहारी (केवल राजधानी/ शताब्दी एक्सप्रेस के लिए)
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

5 साल से कम आयु के बच्चे (जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं)

क्र.सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में	राष्ट्रीयता	लिंग (पु./स्त्री) अथवा विपरीत लिंगी (पु./स्त्री)	आयु
1.				
2.				

आगे की / वापसी यात्रा का विवरण

गाड़ी सं. और नाम..... यात्रा की तारीख.....
 श्रेणी..... स्टेशन से..... स्टेशन तक
 आवेदक का नाम
 पूरा पता

टेलीफोन नं./ मोबाइल नं., यदि कोई हो..... तारीख.....
 आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर..... समय.....

केवल सरकारी प्रयोग के लिए

मांगपत्र की क्रम सं. पी.एन.आर. नं.
 शायिका / सीट सं. वसूल की गई राशि

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

- नोट: 1. एक मांग-पत्र के साथ अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं. (तत्काल टिकट को छोड़कर)
 2. एक व्यक्ति एक बार में केवल एक मांग-पत्र दे सकता है. (उन मामलों को छोड़कर जिसमें उसी यात्री की आगे की/वापसी यात्रा शामिल है.)
 3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपने टिकट और शेष राशि की जांच कर लें.
 4. ठीक ढंग से न भरे गए या अपाठ्य फार्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे.
 5. विशेष मांग पर केवल स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा.
 6. एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों की अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकट्ठे भी स्थान दिया जा सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है
 7. गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अपने लिए निचली शायिका आरक्षित करवा सकती हैं.
 8. यात्रा के दौरान किसी एक यात्री को कोई एक निर्धारित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है. (मूल में)